न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 18/2022

1. बाबूलाल आयु 59 वर्ष पुत्र श्री मन्नालाल, जाति माली
2. रामकरण आयु 40 वर्ष पुत्र श्री मन्नालाल, जाति माली
3. छोटूलाल आयु 38 वर्ष पुत्र श्री मन्नालाल, जाति माली
4. ओम प्रकाश आयु 36 वर्ष पुत्र श्री मन्नालाल, जाति माली
5. बृजमोहन आयु 34 वर्ष पुत्र श्री मन्नालाल, जाति माली
6. पानाबाई पत्नि स्व. श्री मन्नालाल, जाति माली, निवासीगण बानपुर तहसील अटरू, जिला बारां
7. सीताबाई पुत्री श्री मन्नालाल पत्नि रामरतन, जाति माली, निवासी डोबडा, तहसील खानपुर जिला झालावाड (राज0)
8. समुद्राबाई पुत्री श्री मन्नालाल पत्नि देवलाल, जाति माली, निवासी मोईकलां, तहसील सांगोद, जिला कोटा (राज0)
9. सहोदराबाई पुत्री श्री मन्नालाल पत्नि जगदीश, जाति माली निवासी धाकडो का मोहल्ला, बारां, जिला बारां (राज0)
10. लक्ष्मीबाई पुत्री श्री मन्नालाल पत्नि रामरतन, जाति माली, निवासी बम्बोरी घाटा, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां (राज0)
11. पारवतीबाई पुत्री श्री मन्नालाल पत्नि रामचन्द्र, जाति माली, निवासी मोईकलां, तहसील सांगोद, जिला कोटा (राज0)

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. राजूलाल पुत्र नन्दा, जाति सहरियां, निवासी नारेडा, तहसील बारां जिला बारां (राज0)
2. बाबूलाल पुत्र रामचन्द्र, जाति सहरिया, निवासी नारेडा **(मृतक)**

2/1 शारदा उर्फ रसीदा पत्नि स्व. बाबूलाल, जाति सहरिया निवासी जगदीशपुरा तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)

2/2 रक्षित पुत्र स्व. बाबूलाल नाबालिग जरिये वली माता शारदा उर्फ रसीदा पत्नि स्व. बाबूलाल, जाति सहरिया, निवासी जगदीशपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां, राज.

3. कमलाबाई पुत्री नन्दा पत्नि गुलाबचन्द, जाति सहरियां, निवासी बडोरा, तहसील अटरू,
4. संतोष बाई पुत्री नन्दा पत्नि गंगाराम, जाति सहरिया, निवासी सोनी दीलोद, तहसील छबडा, जिला बारां (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू, जिला बारां (राज0)

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–235 आर.टी.एक्ट

उपस्थितिः– 1. श्री बृजराज सिंह चौहान, अभिभाषक **(प्रार्थीगण)**

2. श्री राजेश कुमार गुप्ता, अभिभाषक **(अप्रार्थी कम 1,3,4)**

आदेश दिनांक– 23.12.2022

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.03 17:04:29 IST
Reason: SelfAttested

1– प्रार्थीगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय उपजिला कलक्टर, अटरू में वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर.टी.एक्ट खातेदार कृषक घोषित कराने हेतु वाद विचाराधीन है। उक्त पीठासीन अधिकारी से इस प्रकरण में न्याय प्राप्त होने की कतई उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रतिवादीगण राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति होने के कारण पीठासीन अधिकारी उनके प्रभाव में है। जिस कारण प्रार्थीगण को न्याय मिलने की उम्मीद नही है। अतः उक्त प्रकरण बउनवान बाबूलाल वगै. बनाम राजूलाल वगै. दावा संख्या 90/2007 अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर.टी.एक्ट को न्यायालय उपजिला कलक्टर, अटरू से बारां जिले के किसी भी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया तथा पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, अटरू को प्रार्थना पत्र मेमो की प्रति भेजकर बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी गयी।

अप्रार्थी क्रम 1, 3 व 4 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये तथा न्यायालय उपजिला कलक्टर, अटरू से बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। अप्रार्थिया क्रम 2/1 स्वंय उपस्थित हुई।

उपस्थित अप्रार्थिया क्रम 2/1 एवं अभिभाषक अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया तथा सीधे बहस करना चाहा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू से बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हुई कि प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप सारहीन, तथ्यहीन एवं सरासर गलत हैं। प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 आर.टी.एक्ट. के तहत ग्राम बानपुर तहसील अटरू स्थित अनुसुचित जनजाति (एस0टी0) के रिकार्डेड खातेदार प्रतिवादीगण की भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहने हेतु यह दावा न्यायालय में दायर किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष धारा 42 बी आर.टी.एक्ट के प्रतिकूल है। विवादित आराजी के रिकोर्डेड खातेदार प्रतिवादीगण ने काउण्टर क्लेम पेश कर अतिक्रमी/प्रार्थीगण/वादीगण को धारा 183, 188 के अधीन बेदखल कर कब्जा दिलाने का निवेदन किया है। प्रकरण विगत 15 वर्षो से न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी के समक्ष साक्ष्यवादी, साक्ष्यप्रतिवादी, गवाहो के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण बहस आदि Proceedings हुई है और दिनांक 09.06.2022 को अन्तिम बहस होकर दिनांक 29.06.2022 को निर्णय सुनाया जाना था। निर्णय सुनाये जाने के स्तर पर सारहीन आरोपों के आधार पर प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करना प्रथम दृष्ट्या न्याय को विफल करना है। प्रार्थीगण उक्त वाद को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करवाना चाहता है जिसमें इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी। दौराने बहस अप्रार्थिया क्रम 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रही।

दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण के राजनैतिक एवं प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंध हैं जिनका न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के पीठासीन अधिकारी के साथ उठना बैठना है। इस कारण प्रार्थीगण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू से न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः उक्त प्रकरण बउनवान बाबूलाल वगै. बनाम राजूलाल वगै. दावा संख्या 90/2007 अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर.टी.एक्ट को न्यायालय उपजिला कलक्टर, अटरू से बारां जिले के किसी भी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण ने ऐसे किसी उचित कारण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं किया है मात्र निर्णय को विलम्बित करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई कारण अंकित नहीं किया जिससे साबित हो कि पीठासीन अधिकारी प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के प्रभाव में [illegible] स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.03 17:04:29 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)